HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 147/2025

Rakesh S/o Ramswaroop, Aged About 25 Years, R/o Kaysa, Police Station Neemrana, District Kotputli-Behror (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Pawan Kumar S/o Mahendra Singh, Aged About 30 Years, R/o Kaysa, Police Station Neemrana, District Kotputli-Behror (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Anutosh Mishra Mr. Ashish Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Mohit Khandelwal Mr. Pankaj Maderna Mr. Pranav Sharma Mr. Hitarth Dixit Mr. Keshav Dadhich

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/04/2026

प्रार्थी–परिवादी की ओर से धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 350/2025, पुलिस थाना नीमराणा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 351(3), 117(2), 117(3) भारतीय न्याय संहिता में पारित आदेश दिनांकित 17.10.2025, जिसके द्वारा अप्रार्थी क्रम–2 अभियुक्त पवन कुमार की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है, को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–परिवादी का तर्क है कि न्यायालय के समक्ष तथ्यों का दुर्व्यपदेशन और कपट करते हुए आलौच्य जमानत आदेश प्राप्त किया गया है। उनका तर्क है कि पूर्व में सहअभियुक्त सोनू की जमानत का प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, जिसमें अभियुक्त सोनू की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में रामस्वरूप को जो दाहिने पैर पर गम्भीर चोट कारित हुई है, जिसके कारण उसका दाहिना पैर काटना पड़ा, वह चोट अभियुक्त पवन कुमार (अप्रार्थी क्रम–2) द्वारा कारित की गई है। उनका तर्क है कि न्यायालय ने अभियुक्त सोनू को इसी आधार पर दिनांक 09.10.2025 के आदेश द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिया। इसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.10.2025 को अप्रार्थी क्रम–2 अभियुक्त पवन कुमार को इस आधार पर जमानत पर मुक्त करने संबंधी आदेश पारित किया है कि सहअभियुक्त सोनू को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उनका तर्क है कि अभियुक्त सोनू का मामला पवन कुमार के समकक्ष हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अभियुक्त सोनू के मामले में यही मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था कि आहत रामस्वरूप को दाहिने पैर की चोट, जिसके कारण उसका पैर काटा गया है, वह सोनू द्वारा कारित नहीं की गई, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त **पवन कुमार** द्वारा कारित की गई है। उनका तर्क है कि इस प्रकार तथ्यों का दुर्व्यपदेशन कर आलौच्य आदेश प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पवन कुमार को जमानत पर मुक्त करने संबंधी आदेश दिनांकित 17.10.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अप्रार्थी क्रम–2 अभियुक्त पवन कुमार से ही बरामद हुई है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्त हंसराज और विनोद का जमानत प्रार्थना–पत्र आरोप–पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने दिनांक 12.02.2026 को निरस्त कर दिया है, जबकि प्रार्थी पवन कुमार को जमानत पर मुक्त करने का आदेश आरोप–पत्र प्रस्तुत होने से भी पूर्व का है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय, जो कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, के आदेश दिनांकित 17.10.2025 द्वारा दी गई जमानत इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण धारा 117(3) भारतीय न्याय संहिता के अपराध से संबंधित है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास के दण्ड का प्रावधान

है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पवन कुमार को जो जमानत दी गई है, उसे निरस्त किया जावे तथा उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम–2 अभियुक्त पवन कुमार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जमानत निरस्तीकरण के आधार जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के आधारों से सर्वथा भिन्न है। उनका तर्क है कि किसी भी अभियुक्त को दी गई जमानत, केवल जमानत का आदेश होने के उपरान्त उत्पन्न हुई अन्य परिस्थितियों के आधार पर ही निरस्त की जा सकती है। उनका तर्क है कि ऐसी कोई पश्चात्वर्ती परिस्थितियां प्रार्थी/परिवादी की ओर से दर्शित नहीं की जा सकी है। उनका तर्क है कि प्रार्थी द्वारा जमानत पर मुक्त होने के बाद जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाना दर्शित नहीं है तथा उसके द्वारा किसी गवाह को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और न ही विचारण को किसी भी रूप से प्रभावित करने की कोई आशंका दर्शित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पवन कुमार की जमानत निरस्त नहीं की जा सकती है। उनका तर्क है कि जमानत निरस्तीकरण का आदेश केवल ऊपर वर्णित परिस्थितियों में ही पारित किया जा सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2025 का आदेश समानता (parity) के आधार पर पारित किया गया है, वह सर्वथा उचित है, क्योंकि दिनांक 09.10.2025 को सहअभियुक्त सोनू को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। उनका तर्क है कि सोनू को जमानत पर मुक्त करने के एक से अधिक आधार, जो कि अभियुक्त सोनू के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में दर्शित किए उन्हें अपने आदेश में विचारण न्यायालय ने उल्लिखित किया है। उनका तर्क है कि केवल चोट किसने कारित की, इस आधार पर ही अभियुक्त सोनू को उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी है, वरन् इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेश में 4–5 अन्य आधार भी अंकित है, जिनमें पक्षकारों के मध्य पुराना सिविल विवाद होना, अभियुक्तगण के पक्ष में न्यायालय का स्थगन आदेश होना तथा परिवादी पक्ष का आक्रामक होना आदि भी अंकित है। उनका तर्क है कि यदि गुणावगुण पर भी देखा जाये तो परिवादी राकेश कुमार, सुमित्रा व प्रियंका ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में रामस्वरूप के दाहिने पैर पर हंसराज द्वारा फरसा मारना कहा है।

उनका यह भी तर्क है कि राज्य की ओर से जमानत निरस्तीकरण का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल दबाव बनाने के लिए ही परिवादी की ओर से निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में धारा 117(3) भारतीय न्याय संहिता का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि उपचार के दौरान पैर का काटा जाना चोट प्रतिवेदन में अंकित है। तथाकथित झगड़े के समय पैर कटा हो, ऐसा दर्शित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया धारा 117(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध नहीं बनता है। उनका यह भी तर्क है कि अब अप्रार्थी–अभियुक्त, जिसे जमानत पर मुक्त कर दिया गया है, उसकी जमानत निरस्त करने तथा उसे अभिरक्षा में लिये जाने से किसी उद्धेश्य की पूर्ति नहीं होनी है। अप्रार्थी–अभियुक्त गवाहों तथा विचारण को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी जमानत निरस्त करके उसकी स्वतंत्रता बाधित (liberty curtail) नहीं की जा सकती है।

उनका यह भी तर्क है कि जमानत निरस्तीकरण केवल जमानत के आदेश के उपरान्त उत्पन्न परिस्थितियों पर ही की जा सकती है। वर्तमान् मामला जमानत के आदेश को अपास्त करने का नहीं होकर जमानत निरस्तीकरण का है। दोनों की प्रकृति भिन्न है। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी–अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार का कोई दुर्व्यपदेशन विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। उन्होंने जब अभियुक्त सोनू की जमानत संबंधी बहस की थी, उस समय जो तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई थी, उसके आधार पर ही की थी और उसके उपरान्त विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और तथ्यों के आधार पर ही अप्रार्थी क्रम–2 के संबंध में आदेश पारित किया है। परिवादी का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए गए हैं:–

1. **कैलाश कुमार–बनाम–हिमाचल प्रदेश एवं अन्य**

2025 लाइव लॉ (एससी) 242

2. **एक्स–बनाम–तेलंगाना राज्य एवं अन्य**

(2018) 16 एससीसी 511

प्रार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि जमानत निरस्त करवाने का पीड़ित/परिवादी को अधिकार प्राप्त है। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण एक ही समय में दो विपरीत तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि एक स्थान पर अभियुक्त सोनू की जमानत में वे पवन कुमार द्वारा गम्भीर चोट कारित करने का उल्लेख करें और दूसरे स्थान पर पवन कुमार की जमानत सोनू की जमानत के आधार पर प्राप्त करें। उनका कहना है कि अभियुक्त सोनू और पवन कुमार के अधिवक्ता समान हैं।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी/परिवादी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या–2/अभियुक्त पवन कुमार को दिनांक 17.10.2025 को दी गई नियमित जमानत सम्बन्धी विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 2–अभियुक्त पवन कुमार का प्रार्थना–पत्र एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत याचिका संख्या 861/2021 खेतसिंह एवं अन्य–बनाम–राजस्थान राज्य के निर्णय के प्रकाश में समानता के आधार पर अभियुक्त को जमानत का लाभ देय होना बताते हुए स्वीकार की है। इस आदेश में विचारण न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार का मामला सहअभियुक्त सोनू से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष/प्रेक्षण अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री के सर्वथा विपरीत है व उक्त साक्ष्य व सामग्री की अनदेखी कर निकाला गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आहत/परिवादी रामस्वरूप ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में प्रकट किया है कि हंसराज, विनोद व पवन ने कुल्हाड़ी व फर्सी की उसके दायें पैर पर चोटें मारीं। उसका दाहिना पैर जांघ पर से काट दिया गया था। सहअभियुक्त सोनू की जमानत का आदेश पारित करते समय आहत रामस्वरूप को चोट कारित करने का आक्षेप अभियुक्त पवन कुमार पर होने का तर्क उसके विद्वान अधिवक्ता जो अभियुक्त पवन कुमार के भी अधिवक्ता है, के द्वारा किया जाना सामने आया है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त पवन कुमार की नियमित जमानत का

प्रार्थना–पत्र निस्तारण करते हुए उक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विचार में नहीं लिया कि आहतगण के दाहिने पैर पर चोट कारित करने का आक्षेप अभियुक्त पवन कुमार पर था और उसका नाम आहत रामस्वरूप से अपने कथन धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट रूप से लिया है, अभियुक्त पवन कुमार के आधिपत्य से कुल्हाड़ी की बरामदगी भी हुई है, आहत रामस्वरूप का दाहिना पैर उसके आई चोट के कारण काटना पड़ा है जिससे उसे स्थाई अपंगता कारित हुई है। सहअभियुक्त सोनू पर आहत रामस्वरूप के दाहिने पैर पर चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार की किसी भी प्रकार की कोई समानता (Parity) सहअभियुक्त सोनू से नहीं थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय माइकला धर्मराजम एवं अन्य–बनाम–तेलंगाना राज्य एवं अन्य (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 743 में जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रेक्षण किया है:–

It is trite law that cancellation of bail can be done in cases where the order granting bail suffers from serious infirmities resulting in miscarriage of justice. If the court granting bail ignores relevant material indicating prima facie involvement of the accused or takes into account irrelevant material, which has no relevance to the question of grant of bail to the accused, the High Court or the Sessions Court would be justified in cancelling the bail.

Having perused the law laid down by this Court on the scope of the power to be exercised in the matter of cancellation of bails, it is necessary to examine whether the order passed by the Sessions Court granting bail is perverse and suffers from infirmities which has resulted in the miscarriage of justice. No doubt, the Sessions Court did not discuss the material on record in detail, but there is an indication from the orders by which bail was granted that the entire material was perused before grant of bail. It is not the case of either the complainant-Respondent No.2 or the State that irrelevant considerations have been taken into account by the Sessions Court while granting bail to the Appellants. The order of the Sessions Court by which the

bail was granted to the Appellants cannot be termed as perverse as the Sessions Court was conscious of the fact that the investigation was completed and there was no likelihood of the Appellant tampering with the evidence.

उक्त विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार यदि आदेश में गम्भीर त्रुटियां हों और उससे न्याय हत्या (Miscarriage of Justice) होती हो तथा जमानत प्रदान करते समय सुसंगत सारवान तथ्य जो कि अभियुक्त के अपराध में संलिप्तता को प्रथम–दृष्ट्या दर्शित होता हो, उसे ध्यान में नहीं लिया गया हो अथवा आदेश मनमाना (Perverse) हो तो न्यायालय को जमानत निरस्त करनी चाहिए।

वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या–2–अभियुक्त का नियमित जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते समय इस सारवान तथ्य पर गौर नहीं किया कि अभियुक्त पवन कुमार के द्वारा आहत रामस्वरूप के दाहिने पैर पर कुल्हाड़ी से चोट मारी गई है एवं इस आशय का आक्षेप पवन कुमार पर होने सम्बन्धी तर्क उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त सोनू की जमानत प्रार्थना–पत्र की बहस के समय लिया गया है तथा रामस्वरूप का दाहिना पैर काटना पड़ा है। अभियुक्त पवन कुमार से कुल्हाड़ी की बरामदगी होना भी पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है। सहअभियुक्त हंसराज और विनोद का जमानत प्रार्थनापत्र आरोप–पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने दिनांक 12.02.2026 को निरस्त कर दिया है। साथ ही विचारण न्यायालय ने उक्त जमानत प्रदान करते हुए इस न्यायालय के आदेश का उल्लेख आदेश दिनांक 09.10.2025 से समानता (Parity) के आधार पर जमानत प्रदान करने का उल्लेख किया है जो भी सर्वथा मनमाना (Perverse) है क्योंकि जिस सहअभियुक्त सोनू को जमानत दी गई थी, उसके विरूद्ध आहत रामस्वरूप के दाहिने पैर पर चोट कारित करने का आक्षेप नहीं था।

उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2025 से जो आदेश पारित किया गया है वह उक्त आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विचारण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन

न्यायाधीश संख्या–2 बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 275/2025 पवन कुमार–बनाम–राज्य सरकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 350/2025 पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपूतली में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 जिसके द्वारा अभियुक्त पवन कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया गया है, अपास्त किया जाता है, उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, अभियुक्त पवन कुमार को प्रदत्त जमानत को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

अप्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 08.05.2026 तक विचारण न्यायालय के समक्ष अपने को समर्पित करें, अन्यथा विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर विधिअनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /S.4